(b) No. According to the same source, foodgrains production in U.S.A. and India in 1992 was of the order of 355 million tonnes and 212 million tonnes (with rice considered in terms of paddy) respectively.

(c) The difference is due to high level of mechanisation and productivity in U.S.A.

(d) Diversification of agriculture and development of secondary and territory is expected to ease the pressure of population on land.

Central Assistance for Rehabilitation

7115. **SHRIMATI BASANTI SHARMA:** Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Government of Assam has submitted a request for seeking Central Assistance for rehabilitatoin and to make up for the losses suffered due to floods in the State;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the amount sanctioned for the purpose and the amount actually released so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

पठार विकास परियोजना के अधीन योजनायें

7116. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनंदन जैन**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में विश्व-बैंक द्वारा वित्त पोषित पठार विकास परियोजनाओं के अधीन विभिन्न योजनाओं के संचालन और रख-रखाव का खर्च आदिवासियों से वसूल किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विशेषकर किन-किन परियोजनाओं के संबंध में "लागत की वापसी" के सिद्धान्त को अपनाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) विश्व बैंक द्वारा अपनी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से देश में चलाई जा रही कृषि और ग्रामीण विकास परियोजनाओं/योजनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि लगभग सभी योजनाएं अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है और क्या सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई सर्वेक्षण किया है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) जी, हां।

परियोजना में, बिहार सरकार तथा परियोजना के लाभानुभोगियों के बीच लागत और लाभ की हिस्सेदारी के लिए सहमत व्यवस्था के माध्यम से लागत की कुछ राशि की वसूली का प्रावधान हैं।

(ख) लागत की वसूली के कारणों में निम्न बातें शामिल हैं :-

(1) लाभानुभोगियों को कार्यकलापों तथा उनके स्थानों के चयन सहित परियोजना आयोजन प्रक्रिया में शामिल करना, तथा (2) लाभानुभोगी इनमें से कुछ परिसम्पत्तियों के स्वामी हों और उनका उपयोग करें।

(ग) परियोजना लाभानुभोगियों के साथ लागत की हिस्सेदारी की व्यवस्थाएं इन क्षेत्रों में चलाने का प्रस्ताव है- (1) सिंचाई स्कीमें (2) जल संग्रहण टैंक/खुदे हुए कुएं, (3) पीने के पानी की सुविधाएं, (4) पनधारा उपचार आदि।